न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 43/2025
रजिस्ट्रेशन नं. : 2025/49

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री विवेक कलाल पुत्र श्री दिलीप कलाल निवासी– टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– शिव शक्ति किराणा स्टोर टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगंढ, बांसवाडा (राज) मो. नं. 9772594123
2. **Shyam Trading Co. Opp. Post office, Gamdi Road, Jhalod, Dahod, Gujrarat Mob. No-9924853201**
3. श्री परेशकुमार रातीलाल चोखावाल (फर्म मालिक) मैसर्स– **Mihir Marketing Plot No-4 Railway Station, Near Vaghar Vas Taluka Deesa- 385535 Dist- Banaskantha Gujarat Mob. No- 9427639413**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **23–07–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **24–09–2024** को दौराने निरीक्षण 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स शिव शक्ति किराणा स्टोर टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ** पर पहुंचा तो वहाँ पर **श्री विवेक कलाल पुत्र श्री दिलीप कलाल** मिले। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स शिव शक्ति किराणा स्टोर टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna) 500** [illegible] **10 जार रखे हुए थे। खाद्य** पदार्थ **Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** जिसमें गुणवत्ता की कमी एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फॉर्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य** पदार्थ **Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** के **4** जार वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

इनकी कीमत 600/– रु. विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna) के 4 जार के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी. ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1908** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी व सील बंद किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिर्पोट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा, जिन्होने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

कार्यालय पहुचकर फार्म नंबर 6 की प्रतियाँ तैयार की प्रत्येक पर सील मोहर कर एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/452 दिनांक 18–10–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1101 दिनांक 07–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1908** [illegible]dard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 [illegible] / मालिक को दी गई, नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील न[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

फर्म के मालिक **श्री विवेक कलाल पुत्र श्री दिलीप कलाल निवासी– टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– शिव शक्ति किराणा स्टोर टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , जिस पर विक्रेता ने **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** का अग्रिम माल खरीद बिल मैसर्स– **Shyam Trading Co. Opp. Post office, Gamdi Road, Jhalod, Dahod, Gujrarat** का बिल प्रस्तुत किया। मैसर्स– **Shyam Trading Co. Opp. Post office, Gamdi Road, Jhalod, Dahod, Gujrarat** से यह पत्र व्यवहार करने पर **M/S Mihir Marketing Plot No-4 Railway Station, Near Vaghar Vas Taluka Deesa-385535 Dist- Banaskantha Gujarat** का बिल प्रस्तुत किया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25–07–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 23–09–2025 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री निरज पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 02.12.2025 को अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री मुकेश अग्रवाल पिता स्व. अश्विन कुमार प्रहलाद भाई अग्रवाल ने उपस्थित होकर लिखित में निवेदन किया कि मेरे पिता स्व. अश्विन कुमार प्रहलाद भाई अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 06.06.2023 को हो चुका है एवं हमारे पिता के नाम से एक फर्म श्याम ट्रेडिंग कंपनी, झालोद, दाहोद, गुजरात जिसका संचालन मै स्वयं करता हु। इन्टर इस्टरफाईड वेज फेट (पंच रत्न) सेम्पल लिये जाने पर सबस्टेण्र्ड पाया गया है जिसके लिये मै क्षमा प्रार्थी हुँ। न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

दिनांक 27.01.2026 को अप्रार्थी सं. 1 [illegible] से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जुर्म स्वीकरोक्ति प्रार्थना पत्र [illegible]पो को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाते हुए कम से कम जुर्माने से दण्डित [illegible]रने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री फुरकान अहमद अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.2025, 02. 12.2025, 23.12.2025 को मैमो ऑफ एपीयरेंस पेश कर आगामी पेशी दिनांक पर वकालतनामा पेश करने निवेदन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं.3 को इस प्रकरण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त है। दिनांक 27.01.2026 व आज दिनांक 23.02.2026 को अप्रार्थी सं. 3 अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं. का जवाब बंद किया जाकर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

आरोपीगण सं. 1 व 2 की ओर से अपराध स्वीकार किया गया है अतः किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/452 दिनांक 18–10–2024 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1101 दिनांक 07–10–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1908** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया **खाद्य पदार्थ Inter esterfied Veg Fat (Panch Ratna)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री विवेक कलाल पुत्र श्री दिलीप कलाल निवासी– टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ, बांसवाडा (विक्रेता/मालिक) मैसर्स– शिव शक्ति किराणा स्टोर टाढा मगला, सज्जनगढ, कुशलगढ, बांसवाड़ा (राज) को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), श्री मुकेश अग्रवाल पिता स्व. अ[illegible] कु[illegible] प्रहलाद भाई अग्रवाल, Shyam Trading Co. Opp. Post office, Ga[illegible] Road, Jhalod [illegible], Gujrarat को रूपये 2500/– (अक्षरे दो हजार पांच सौ रुपया मात्र), श्री परेशकुमा[illegible]तीलाल चोखावाल (फर्म मालिक) मैसर्स– Mihir Marketing Plot No-4 Railway Station, Near Vaghar Vas Taluka Deesa- 385535**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Dist- Banaskantha Gujarat को रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 23–02–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.12 15:39:56 IST
Reason: SelfAttested